स्पेशल एस.सी. / एस.टी. 80 / 2022
नौहट्टा थाना कांड संख्या–84 / 2022

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.
सहरसा
स्पेशल एस.सी. / एस.टी. 80 / 2022
नौहट्टा थाना कांड संख्या–80 / 2022

1. राज्य (द्वारा) रामबाबू चौपाल
साकिन–असैय, वार्ड नं0 14,
थाना–नवहट्टा, जिला–सहरसा।

....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. मो0 अबादत उर्फ मो0 अवादत हुसैन उम्र 43 वर्ष, पिता मो0 सहादत उर्फ मो0 सहादत अली
2. मो0 सुभानी उर्फ मो0 सुभान अली उम्र 41 वर्ष, पिता मो0 सहादत उर्फ मो0 सहादत अली
3. मो0 नौशाद उम्र 33 वर्ष पिता मो0 सहादत उर्फ मो0 सहादत अली

सभी साकिनान पहाड़पुर, वार्ड नं0 10, थाना नौहट्टा, जिला सहरसा।

....अभियुक्तगण

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

1.	घटना की तिथि	28.04.2022	
2.	प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	29.04.2022	अंदर धारा 341, 323, 324, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(द), 3(i)(ध), 3(2)(va), 3(1)(wi) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट।
3.	आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	133 / 2022, 30.09.2022	अंदर धारा 341, 323, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r), 3(i)(s), 3(1)(wi), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट।
4.	संज्ञान लेने की तिथि	02.01.2023	अंदर धारा 341, 323, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wi), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट।
5.	आरोप गठन की तिथि	09.10.2023	अंदर धारा 341, 323, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wi), 3(2)(va) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट।
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	22.08.2024	
7.	अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	02.05.2026	

स्पेशल एस.सी. / एस.टी. 80 / 2022
नौहट्टा थाना कांड संख्या–84 / 2022

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

8.	धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	14.05.2026	
9.	सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
10.	सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
11.	बहस प्रारंभ होने की तिथि	26.05.2026	
12.	बहस बंद करने की तिथि	26.05.2026	
13.	निर्णय की तिथि	04.06.2026	

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियेाजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री अनोज कुमार मिश्र, विद्वान अधिवक्ता

सहरसा, दिनांक–04.06.2026

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्त 1. मो0 अबादत उर्फ मो0 अवादत हुसैन उम्र 2. मो0 सुभानी उर्फ मो0 सुभान अली 3. मो0 नौशाद के विरूद्ध धारा–341, 323, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wi), 3(2)(va) अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि '' मैं राम बाबू चौपाल पे0 सिंहेश्वर चौपाल साकिन असैय, वार्ड 14, थाना नवहट्टा, जिला सहरसा का निवासी हूँ। असैय पहाड़पुर घाट के पुरानी बांध के उत्तर तरफ मेरा घर है तथा सीधे दक्षिण तरफ मेरा कटघरा है जिसमें किराना सामान एवं साईकिल के मरम्मती करने का सामान है। कल दिनांक 28.04.2022 को समय करीब 05.30 बजे शाम में मेरा रखा हुआ कटघरा के पास ट्रैक्टर से मो0 सहादत पे0 स्व0 लाल मोहम्मद, मो0 अबादत, मो0 सुभानी मो0 नौशाद तीनों पिता मो0 सहादत सभी साकिन पहाड़पुर

थाना नवहट्टा, जिला सहरसा मिलकर मिट्टी गिराने लगा। मैं मिट्टी गिराने से मना किया तो उक्त लोग बोला कि तुम्हारा जागिर है जो दोनों तरफ जमीन को अपने कब्जा में रखा है। गाली गलौज कने लगा तथा आवाज देकर घर के लोगों से लाठी डंडा, फरसा लोहे का रड मंगवा लिया तथा कहा यहॉ से कटघरा हटाओ तथा कटघरा को तरड़–फोड़ करने लगा। मैं तोड़–फोड़ करने से मना किया तो मो0 सहादत के आदेश पर जान मारने के नीयत से उक्त लोगों ने फरसा से माथा पर मारा मेरा माथा जख्मी हो गया। खुन बहने लगा तथा माथा बूरी तरह से फट गया। मेरा छोटा भाई शंकर बचाने आये तो इसे भी उक्त लोगों ने लाठी डंडा से माथा पर मारा माथा जख्मी हो गया है इसी क्रम में मो0 खुर्शीद, मो0 सुब्बीर दोनों पिता मो0 हासिम, शबाना खातून पति मो0 सब्बीर, नुसरत खातून पति मो0 खुर्शीद भी आकर गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे तथा धमकाते हुए जान से मारने का धमकी भी दिया। मो0 अबादत की पत्नी मो0 सुभानी की पत्नी, मो0 नौशाद की पत्नी नाम न मालूम भी दरवाजा पर आकर मेरी मॉ, पत्नी को मारपीट करते हुए अर्धनग्न कर दिये तथा मेरी पत्नी के गला से चॉदी का लॉकेट 10 भरी का छीन लिया तथा बोला चौपाल कुछ बोलोगे तो जान से मार देंगे। उक्त लोग मनमानी करता है तथा गरीब समझकर भगाना चाहता है।'' उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया।

3. उपरोक्त आशय का सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर नवहट्टा थाना कांड संख्या– 84 / 2022 अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(द), 3(i)(ध), 3(2)(va), 3(1)(wi) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण 1. मो0 अबादत उर्फ मो0 अवादत हुसैन उम्र 2. मो0 सुभानी उर्फ मो0 सुभान अली 3. मो0 नौशाद के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–133 / 2022 दिनांक–30.09.2022 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण क्रमशः 1. मो0 अबादत उर्फ मो0 अवादत हुसैन उम्र 2. मो0 सुभानी उर्फ मो0 सुभान अली 3. मो0 नौशाद के विरूद्ध दिनांक–02.01.2023 धारा– 341, 323, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wi), 3(2)(va) अनु.जाति जनजाति(अत्याचार

निवारण) अधिनियम भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए वाद दौरा सुपूर्दगी किया गया।

5. दिनांक–09.10.2023 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341, 323, 354, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wi), 3(2)(va) अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–14.05.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

7. तथा–कथित आरोप को साबित करने के लिये कुल 9 अभियोजन साक्ष्य कराया गया है और वे हैं अभियोजन साक्षी संख्या–1. सत्यनारायण शर्मा, अभियोजन साक्षी संख्या–2. रामबाबू चौपाल, अभियोजन साक्षी संख्या–3. शंकर चौपाल, अभियोजन साक्षी संख्या–4. सत्यभामा देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–5. प्रमिला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–6. बुद्धि साह उर्फ राम प्रसाद साह, अभियोजन साक्षी संख्या–7. लक्ष्मण झा, अभियोजन साक्षी संख्या–8. गीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–9. सावित्री देवी।

अभियोजन साक्षी संख्या–2. रामबाबू चौपाल इस वाद के सूचक हैं इसलिये इनके साक्ष्य की विवेचना पहले की जा रही है। न्यायालय में उन्होंने सशपथ कथन किया कि घटना दो वर्ष पूर्व 10–11 बजे दिन की है। मो0 सहादत, मो0 अबादत, मो0 सुभानी, मो0 नौसाद एवं अन्य मिलकर आये और मेरे साथ गाली गलौज किया और मारपीट किया। मुझे किसी ने बचाने नहीं आये। मारपीट की घटना के बाद में नौहट्टा थाना गया और इस बात को लेकर केस किया। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ। साक्षी के पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श P-1/PW-2 अंकित किया जाता है। न्यायालय में उपस्थित सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया जिसमें इन्होंने कथन किया कि इस मुकदमा में राजी खुशी से मेल मिलाप हो गया और इस केस में मेल हो जाने के कारण मेल पिटिशन दाखिल किये हैं जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। इस केस

में मेल हो जाने के कारण मैं अब केस लड़ना नहीं चाहता हूँ। हो हल्ला होने के बाद भीड़ में किसने गाली गलौज किया और किसने मेरे साथ मारपीट किया मैंने नहीं देखा। मुझे किसी ने जाति सूचक गाली नहीं दिया। मुकदमा का आवेदन मैंने नहीं लिखा था। आवेदन किसने लिखा था मैं नहीं बता सकता हूँ। आवेदन को पढ़कर मुझे नहीं सुनाया गया। मुझे हस्ताक्षर करने को कहा गया तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया।

अभियोजन साक्षी संख्या–1. सत्यनारायण शर्मा ने न्यायालय में सशपथ कथन किया कि घटना दो वर्ष पूर्व संध्या पॉच बजे की है। मैं दरवाजे पर था। शहादत आये और ट्रैक्टर से कटघरा के आगे मिट्टी गिराने लगे। मैंने मना किया तो वो मुझे जाति सूचक गाली देने लगा। शहादत मुझे वहॉ से कटघरा हटाने के लिये बोले और कहा कि यह जगह तुम्हारे बाप का नहीं है। खुर्शीद, सोभानी, नरसद, शहादत, सबीर, पॉचो–छहों की पत्नी मिलकर मारपीट करने लगा और कटघरा को तोड़ने लगा। सोमानी फरसा से मेरे पोता राम बाबू चौपाल को सर पर मारा। कटघरा का सभी सामान उक्त अभियुक्तगण ले लिया। घर में जाकर अभियुक्त बोला कि सभी जोलहा का खून कर दो और यहॉ से भगा दो। उसके बाद मेरे पौतपुतोहू चंडिका का पायल ले लिया। उसके बाद मेरा पोता शंकर आया तो उसका सर सोभानी से लाठी से फोड़ दिया। उसके बाद अभियुक्तगण सभी के साथ मारपीट किया। शहादत मुझे भी मारा। उसके बाद थाना गये। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया जिसमें इन्होंने कथन किया जिस केस में मैं गवाही देने आया हूँ उसका नम्बर मैं नहीं बता सकता हूँ। घटना का दिन, तारीख, ईस्वी नहीं बता सकता हूँ। घटनास्थल के चौहद्दी में उत्तर में समीम का घर, दक्षिण में सड़क, पूरब में समसुल का घर तथा पश्चिम में खेत है। रामबाबू चौपाल मेरा पोता है। मैं खेती गृहस्थी करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हमलोगों ने दिनांक 28.04. 2022 को 11.00 बजे दिन में इस केस के मुदालह मो0 सुभान अली को बीबी रू खसाना खातुन के साथ मारपीट किया था और उस क्रम में रूखसाना के पति सुभान अली और देवर नौसाद को मारपीट कर जख्मी कर दिया था जिस कारण बीबी रूखसाना खातुन ने केस कर दिया। हमलोग उस केस में बेल कराये हैं। घ टना के समय हमलोग दरवाजा पर थे। दरवाजा से घटनास्थल की दूरी 20 फीट की है। मुदालह लोग घटना के समय किस रंग का कौन सा कपड़ा पहने हुए था नहीं बता सकते हैं। मारपीट कितने देर तक हुआ नहीं बता सकते हैं। किसके पास क्या था बता सकते हैं। घटनास्थल पर रामबाबू चौपाल, बुद्धि साह को देखें थे।

लक्ष्मण झा अपने खेत में था। इनलोगों के अलावे घटनास्थल पर किसी को नहीं देखा। घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने घटना को होते हुए नहीं देखा। मैं गॉव में नहीं था। आज न्यायालय में मेरा पहला बयान हो रहा है। आज से पूर्व मेरा कहीं अन्य बयान नहीं हुआ हैं मुदालहगण ग्रामीण हैं इसलिये पहचानता हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–3. शंकर चौपाल, अभियोजन साक्षी संख्या–4. सत्यभामा देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–5. प्रमिला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–6. बुद्धि साह उर्फ राम प्रसाद साह, अभियोजन साक्षी संख्या–7. लक्ष्मण झा, अभियोजन साक्षी संख्या–8. गीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–9. सावित्री देवी सभी ने अपने सशपथ बयान में घटना का समर्थन नहीं किया तथा अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन साक्षी संख्या–3. ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आज न्यायालय में मेरा पहली बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है।

अभियोजन साक्षी संख्या–4. सत्यभामा देवी ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आज न्यायालय में मेरा पहली बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है।

अभियोजन साक्षी संख्या–5. प्रमिला देवी ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आज न्यायालय में मेरा पहली बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है। न्यायालय में उपस्थित मुदालह को नहीं पहचानती हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–6. बुद्धि साह उर्फ राम प्रसाद साह ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आज न्यायालय में मेरा पहली बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है। मुदालहगण ग्रामीण हैं इसलिये पहचानता हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–6. बुद्धि साह उर्फ राम प्रसाद साह ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आज न्यायालय में मेरा पहली बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है। मुदालहगण ग्रामीण हैं इसलिये पहचानता हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–7. लक्ष्मण झा ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आज न्यायालय में मेरा पहली

बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है। मुदालहगण मेरे बगल के गॉव का है इसलिये पहचानता हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–8. गीता देवी ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन की है कि आज न्यायालय में मेरा पहली बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है। मुदालहगण ग्रामीण हैं इसलिये पहचानती हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–9. सावित्री देवी ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन की है कि आज न्यायालय में मेरा पहली बार बयान हो रहा है और आज से पूर्व मेरा कही अन्य बयान नहीं हुआ है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ है। मुदालहगण को मैं नहीं पहचानती हूँ।

मन्तव्य

इस वाद के सूचक रामबाबू चौपाल ने बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के पारा 3 में स्पष्ट कथन किया कि इस मुकदमा में राजी खुशी से मेल मिलाप हो गया और इस केस में मेल हो जाने के कारण मेल पिटिशन दाखिल किये हैं जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। पारा 4 में इन्होंने कथन किया कि इस केस में मेल हो जाने के कारण मैं अब केस लडना नहीं चाहता हूँ। पारा 5 में इन्होंने कथन किया कि हो हल्ला होने के बाद भीड में किसने गाली गलौज किया और किसने मेरे साथ मारपीट किया मैंने नहीं देखा। पारा 6 में इन्होंने कथन किया कि मुझे किसी ने जाति सूचक गाली नहीं दिया।

अभियोजन साक्षी संख्या–1. सत्यनारायण शर्मा उर्फ सत्यनारायण चौपाल ने बचावपक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के पारा 14 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इन्होंने घटना को होते हुए नहीं देखा एवं ये घटना के दिन गॉव में नहीं थे। अन्य सभी साक्षियों ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि उन्हें घटना के के बारे में जानकारी नहीं है एवं पुलिस के समक्ष उनका बयान नहीं हुआ था।

अतः अभिलेख पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य के सम्यक अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निकर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये किसी भी आरोपों को सभी युक्त–युक्त तथा तर्कपूर्ण संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। परिणामतः अभिलेख पर विधिक साक्ष्य की कमी के कारण एवं इस वाद में दोनों पक्षों में मेल हो जाने के कारण इस वाद

के उपरोक्त सभी अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्र से मुक्त करने आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
04.06.2026

लेखापित

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
04.06.2026

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 80/2022
नौहट्टा थाना कांड संख्या–84/2022

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)
p.w.-1	सत्यनारायण शर्मा उर्फ सत्यनारायण चौपाल	अन्य साक्षी
p.w.-2	रामबाबू चौपाल	सूचक
p.w.-3	शंकर चौपाल	अन्य साक्षी
p.w.-4	सत्यभामा देवी	अन्य साक्षी
p.w.-5	प्रमिला देवी	अन्य साक्षी
p.w.-6	बुद्धि साह उर्फ राम प्रसाद साह	अन्य साक्षी
p.w.-7	लक्ष्मण झा	अन्य साक्षी
p.w.-8	गीता देवी	अन्य साक्षी
p.w.-9	सावित्री देवी	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साझी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 80/2022
नौहट्टा थाना कांड संख्या–84/2022

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P-1/PW-2	लिखित आवेदन पर सूचक रामबाबू का हस्ताक्षर है जिसकी पहचान सूचक ने की। सूचक के पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श P-1/PW-2 अंकित किया गया।

ख–बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश, सहरसा
04.06.2026

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa